

23/3/19

राधा कृष्ण
श्रीमती जी 28
वाडा नं. 24
फ्लोर
23.3.19

आज रात पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी
द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य
शजीनामा हो चुका है। अतः प्रार्थना-पत्र विद्वां करना
चाहते हैं। आगे चलाना नहीं चाहते। वकील प्रार्थी
का निवेदन स्वीकार करते हुये प्रार्थना-पत्र आगे
विद्वां स्वीकार किया जाता है। पत्रावली उसलु शुभम
दोकर बाह वरती व वकील दाखिल दफ्तर है।

वाडा नं. 24
फ्लोर
23.3.19

SR

सहायक काक्टर
बीकानेर शहर

